दैनिक न्याय साक्षी
खबरें खास
रायगढ़, शनिवार 28 अक्टूबर 2023
www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

शासकीय महाविद्यालय सारंगढ़ में ''मतदान दीवार नारा लेखन'' प्रतियोगिता संपन्न

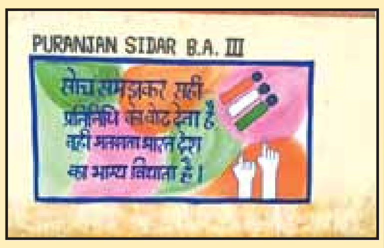

सारंगढ़-बिलाईगढ़। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता को लेकर जिले के शासकीय लोचन प्रसाद पांडेय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सारंगढ़ में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत ''मतदान दीवार नारा लेखन'' प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी के मार्गदर्शन एवं स्वीप नोडल हरिशंकर चौहान के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों ने दीवारों में मतदाता जागरूकता हेतु प्रेरित करने वाले स्लोगन लिखकर कला का प्रदर्शन किया।

बिहान की महिलाओं ने मेहंदी और रंगोली से लोगों को दिया मतदान करने का संदेश

सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी के मार्गदर्शन एवं स्वीप नोडल हरिशंकर चौहान के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता को लेकर सारंगढ़ के इंडोर स्टेडियम में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत आज बिहान की महिला समूहों के द्वारा मतदाता जागरुकता अभियान के तहत रंगोली मेहंदी और नारा लेखन का प्रतियोगिता किया गया, इसके साथ ही वोट की आकृति बनाकर शपथ भी लिया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक अपना योगदान दिया एवं शत प्रतिशत मतदान हेतु शपथ लिया।

सारंगढ़ के लिए उत्तरी जांगड़े, देव प्रसाद कोशले और अजय कुर्रे ने दाखिल किया नामांकन

बिलाईगढ़के लिए कविता प्राण लहरे, श्याम टंडन और रामेश्वर सोनवानी ने जमा किया नामांकन

सारंगढ़-बिलाईगढ़। सारंगढ़ विधानसभा के लिए 27 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी से उत्तरी गनपत जांगड़े ने नामांकन जमा किया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी से देव प्रसाद कोसले एवं अजय कुमार कुर्रे ने नामांकन जमा किया है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार शैलकुमार अजगल्ले ने सारंगढ़ विधानसभा के लिए नामांकन पत्र खरीदा है। इसी प्रकार बिलाईगढ़ विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस पार्टी से कविता प्राण लहरे, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से रामेश्वर सोनवानी एवं बहुजन समाज पार्टी से श्याम कुमार टंडन ने नामांकन जमा किया है। इसके अलावा कुल 8 अभ्यर्थियों ने अमानत राशि जमा कर नाम निर्देशन पत्र खरीदा है।

मास्टर ट्रेनर्स अपने दायित्वों का निष्पक्षता से करें निर्वहन-कलेक्टर

- **मतदान प्रक्रिया प्रशिक्षण में शामिल हुए अतिरिक्त मास्टर ट्रेनर्स**
- **मतदान केंद्रों पर रहेगी एएसडी सूची, नहीं डाल सकेंगे बोगस वोट**

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में आज कलेक्टोरेट के सृजन सभाकक्ष में अतिरिक्त मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस मौके पर सभी मास्टर ट्रेनर्स को मतदान प्रक्रिया के साथ ही ईवीएम, वीवीपीएटी के संचालन एवं सीलिंग की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में महिला मास्टर ट्रेनर्स भी सम्मिलित रही।

कलेक्टर गोयल ने कहा कि भारत के लोकतंत्र में निर्वाचन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं और मतदान दल इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। आगामी 17 नवंबर को जिले में निर्वाचन होना हैं। चूंकि मतदान केंद्रों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हैं। इसमें आप सभी की अपने दायित्वों का भली-भांति व निष्पक्षता से निर्वहन करना हैं। निर्वाचन के लिए समय कम है लिहाजा सभी बेहतर तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त कर लें ताकि मतदान केंद्र में शंका की गुंजाइश न रहे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने कहा कि निर्वाचन के लिए लगाए गए मास्टर ट्रेनर गहनता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी की हस्त-पुस्तिका का भली-भांति अध्ययन करें, ताकि सभी प्रकार की शंकाएं दूर हो सकें। ईवीएम व वीवीपैट के कनेक्शन, परिचालन, मॉकपोल आदि को भली-भांति सीख लें, जिससे मतदान दिवस पर किसी भी समस्या का तत्काल निराकरण कर सकें।

जिला मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल द्वारा प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी, मतदान दल के कार्यो एवं मतदान सामग्रियों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि सामग्रियों में ईवीएम एवं वीवीपीएटी नंबरर्ड होते है, इसके लिए क्या-क्या सावधानियां बरतनी है उसकी जानकारी दी गई। इसी प्रकार मतदान सामग्री सीलिंग, अन्य सामग्री, मतदान के पूर्व की तैयारी, आदर्श मतदान केंद्र ले आउट की जानकारी देते हुए उन्होंने मतदान के दिन की प्रक्रिया-ईवीएम जोडऩा, मॉकपोल, सीआरसी करना कितना अवश्य है बताया। साथ ही ईवीएम एवं वीवीपीएटी सील जैसे विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ ही मतदान के दिन के कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए,सावधानियों के संबंध में मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया।

इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर अनिल कुमार गुप्ता, डॉ.नरेंद्र पर्वत, विकास रंजन सिन्हा, भुनेश्वर पटेल उपस्थित रहें।

मतदान केंद्रों पर रहेगी एएसडी सूची

फर्जी वोटरों को रोकने के लिए बूथवार एएसडी (अब्सेंट शिफ्टेड या डेड) वोटरों की सूची तैयार होगी। इस बार मृत व्यक्ति के जगह फर्जी वोटर बोगस वोट नहीं कर पाएंगे। संशोधन के बाद भी मतदाता सूची में ऐसे वोटरों को रोकने के लिए इस बार चुनाव आयोग ने नई पहल की है। ऐसे फर्जी वोटरों को रोकने के लिए बूथवार एएसडी वोटरों की सूची तैयार होगी। निर्वाचन के दिन यह एएसडी सूची पीठासीन पदाधिकारी के पास होगी। यह सूची निर्वाचन से पहले बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन के बाद तैयार करेंगे। सूची में ऐसे मतदाताओं का बूथ संख्या, गृह संख्या, क्रमांक आदि का विवरण होगा।

सामग्री वितरण/वापसी कार्य के लिए नियुक्त दलों को दिया गया प्रशिक्षण

विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के तहत आज विधानसभा क्षेत्र 15-लैलूंगा के मतदान दलों को सामग्री वितरण/वापसी कार्य के लिए नियुक्त दलों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर डी.आर.रात्रे, एसडीएम लैलूंगा ऋषा ठाकुर उपस्थित रही।

जिला मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल एवं मास्टर ट्रेनर विकास रंजन सिन्हा ने वितरण/वापसी कार्य के लिए नियुक्त दलों को वितरण व वापसी की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने मतदान दलों को दी जाने वाली सामग्रियों की जानकारी देते हुए क्रमश: बताया कि नंबरर्ड आइटम्स एवं नॉन नंबरर्ड आइटम्स की सामग्रियों के क्रमांक वितरण काउंटर प्रभारी के रजिस्टर में संधारित होंगे तथा प्रदान करते समय पीठासीन अधिकारी के पावती हस्ताक्षर लिए जायेंगे। इसी प्रकार उन्होंने सामग्रियों का जूट बैग, लिफाफे की बुकलेट्स, प्रपत्रों की बुकलेट, प्लास्टिक बॉक्स में कौन सी सामग्री होगी एवं कैसे व्यवस्थित करना है जिसकी जानकारी दी। इसी प्रकार सामग्री संग्रहण किस प्रकार करनी है एवं किस लिफाफे में कौन-कौन सी सामग्री होगी। मतदान होने के बाद सामग्री वापसी पर विभिन्न पैकेट के माध्यम से ईवीएम कागजात, जांच कवर, परिनियत लिफाफे, अपरिनियत लिफाफे जैसे अन्य सामग्रियों के भंडारण के लिए स्ट्रांग रूम तथा दस्तावेज से संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए शंकाओं का समाधान किया गया।

लोहे का कत्ता लेकर मोहल्लेवाले को डरा धमका रहा युवक गिरफ्तार, जूटमिल पुलिस की कार्यवाही

रायगढ़। दिनांक 27/10/2023 के दोपहर थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक रामकिंकर यादव को सोनकरपारा में एक युवक द्वारा धारदार हथियार लेकर मोहल्लेवालों और सड़क पर आने-जाने वालों को डराने धमकाने की सूचना मुखबीर से मिला। थाना प्रभारी द्वारा थाने के सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र सिदार को पेट्रोलिंग स्टाफ के साथ सोनकरपारा जाकर तस्दीक करने और कार्यवाही का निर्देशित दिया गया। तत्काल जूटमिल पेट्रोलिंग सोनकरपारा पहुंची। जहां एक युवक हाथ में लोहे का धारदार कत्ता लिए रास्ते लोगों को डराते हुये मिला जिसे सुरक्षा पूर्वक जूटमिल स्टाफ द्वारा हिरासत में लिया गया। युवक ने अपना नाम पूछने पर अपना नाम साहिल भारती पिता भोला शंकर भारती उम्र 23 साल निवासी मिशन हॉस्पिटल केदारपुर पहूना किराना स्टोर के पास सिटी कोतवाली जिला सरगुजा हाल मुकाम टीकम चौहान का किराया मकान सोनकरपारा थाना जूटमिल बताया। आरोपी साहिल भारती के कब्जे से धारदार लोहे का कत्ता की जप्ती कर आरोपी पर थाना जूटमिल में आर्म्स एक्ट की धारा 25,27 के तहत कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। जहां जेल वारंट पर आरोपी साहिल भारती को जिला जेल दाखिल किया गया है। थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक रामकिंकर यादव के निर्देशन पर कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र सिदार, आरक्षक धर्नुजय चंद बेहरा, जितेन्द्र दुबे, विनय तिवारी, सत्या यादव, विजय जांगड़े और भुवनेश्वर पटेल की अहम भूमिका रही है।

विधानसभा आम निर्वाचन-2023

11 अभ्यर्थियों ने जमा किया नामांकन, 6 प्रत्याशियों ने खरीदे नाम निर्देशन पत्र

रायगढ़। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 अंतर्गत आज 27 अक्टूबर को जिले की चार विधान सभाओं के लिए कुल 11 नामांकन पत्र जमा किए गए है। वहीं 6 प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र भी लिए गए।

जिन 11 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र जमा किए गए है। इनमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-15 लैलूंगा से 3 अभ्यर्थी विद्यावती सिदार (इंडियन नेशनल कांग्रेस), रघुवीर राठिया (गोंडवाना गणतंत्र पार्टी) एवं अजय कुमार पंकज (हमर राज पार्टी) ने नामांकन पत्र जमा किया। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-16 रायगढ़ से 3 अभ्यर्थी नजीर अहमद (समाजवादी पार्टी), पुष्पलता टण्डन (बहुजन समाज पार्टी) एवं ओ.पी.चौधरी (भारतीय जनता पार्टी) द्वारा नामांकन पत्र जमा किए गए। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-18 खरसिया से 3 अभ्यर्थी भवानी सिंह सिदार (हमर राज पार्टी), प्रवीण कुमार जायसवाल (आम आदमी पार्टी) एवं विनोद चन्द्र सिंह राठौर (निर्दलीय) ने नामांकन फार्म जमा किया। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-19 धरमजयगढ़ से 2 अभ्यर्थी हरिशचंद्र राठिया (भारतीय जनता पार्टी) एवं सत्यवती राठिया (बहुजन समाज पार्टी) ने नामांकन पत्र जमा किया।

जिन 6 प्रत्याशियों ने नामांकन फार्म खरीदे इनमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-15 लैलूंगा से एक अभ्यर्थी अशोक कुमार भगत (निर्दलीय) ने नामांकन फार्म लिया। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-16 रायगढ़ से दो अभ्यर्थी विभाष सिंह ठाकुर (इंडियन नेशनल कांग्रेस) एवं राधेश्याम शर्मा (निर्दलीय)ने नामांकन फार्म खरीदा। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-18 खरसिया से 2 अभ्यर्थी परिमल सिंह यादव (छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे) एवं यशवंत निषाद (जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी) ने नाम निर्देशन पत्र लिया। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-19 धरमजयगढ़ से एक अभ्यर्थी सुनील खेस्स (निर्दलीय) ने नामांकन फार्म लिया। इस प्रकार 21 अक्टूबर से अब तक कुल 47 नाम निर्देशन पत्र लिए गए हैं और 17 नामांकन पत्र जमा किया गया है।

राज्य में हरित पटाखों का ही होगा विक्रय एवं उपयोग, दीपावली में दो घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे

- **दीपावली, छठ पूजा, गुरू पर्व तथा नया वर्ष/क्रिसमस के लिए उच्चतम न्यायालय तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश**
- **नगरीय क्षेत्र में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाना होगा प्रतिबंधित**

रायगढ़। राज्य में केवल हरित पटाखों का उपयोग एवं विक्रय ही हो सकेगा। साथ ही दीपावली, छठ, गुरू पर्व, नया वर्ष/क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोडऩे के लिए दो घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। उच्चतम न्यायालय तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मार्गदर्शिका के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है।

उल्लेखनीय है कि दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नया वर्ष/क्रिसमस के मौके पर दो घंटे की अवधि पटाखे फोडऩे के लिए निर्धारित की गई है। दीपावली के लिए रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। नया वर्ष/क्रिसमस के लिए रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से रात्रि 12 बजकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। शीत ऋतु में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा रायगढ़ नगरीय क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा 23 नवंबर 2018 को पारित आदेश के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में कुछ अन्य निर्देश भी दिये गये हैं। इनमें कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूब्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लडिय़ों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये गये हैं जिनके द्वारा पटाखों में लीथियम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। आनलाइन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजान आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

छड़ चुराने वाले युवक को लैलूंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

रायगढ़। दिनांक 26.10.2023 को ग्राम सलखिया की रहने वाली शकुन्तला निषाद (उम्र 45 वर्ष) द्वारा उसके घर सामने मकान बनाने के लिये रखी हुई 02 बंडल 8mm की छड़ से एक बंडल छड़ को 25 अक्टूबर की रात्रि गांव का राकेश पैंकरा और उसके साथी चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करायी। रिपोर्टकर्ता बतायी कि दिनांक 25/10/2023 के रात्रि करीब 09/00 बजे घर के सामने रखे छड 01 बंडल को कुछ लोग चोरी कर ले जाते देखी। तब अपने लडका और दामाद के साथ तीनों उन्हें बाहर निकलकर दौड़ाये। दो लड़के को छड़ लेकर अंधेरे में भागते हुये देखे जिनमें एक लड़के को पहचान लिये जो गांव का राकेश पैंकरा था। लैलूंगा पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूद्ध चोरी का अपराध दर्ज कर ग्राम सलखिया मे दबिश देकर आरोपी राकेश कुमार पैंकरा पिता एतवार सिंह पैंकरा उम्र 22 साल निवासी ग्राम सलखिया थाना लैलूंगा को हिरासत में लिया गया जिसके मेमोरेंडम पर चोरी की एक बंडल छड़ 70 किलो, कीमती रु.4070 बरामद कर आरोपी को ज्युडिसियल रिमांड प्राप्त करने जेएमएफसी घरघोड़ा के न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है।

मोबाइल दुकान पर घुसकर झगड़ा विवाद करने वाला युवक गिरफ्तार

- **लैलूंगा पुलिस ने गैर जामनतीय धाराओं में भेजा रिमांड पर**

रायगढ़। दिनांक 26.10.2023 को थाना लैलूंगा में गांधी नगर लैलूंगा में रहने वाले शंभू कुमार सारथी (30 साल) द्वारा शुभम भगत निवासी ग्राम करवाजोर के विरूद्ध उसके मोबाइल दुकान में घुसकर गाली गलौच झगड़ा विवाद कर मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया।

रिपोर्टकर्ता ने बताया कि थाना के सामने मेन रोड़ पर उसकी मोबाईल केयर नाम से दुकान है। कल दिनांक 26/10/2023 के शाम करीब 06/15 बजे शुभम भगत दुकान आया और दुकान के सामने खड़े ग्राहक के मोटर सायकल में अपने मोटर सायकल को सटाकर खड़ कर दिया और अपना मोबाईल को चार्ज करने दुकान में दिया जिसे चार्ज पर लगा दिया। उसी समय ग्राहक हुरदानंद पटेल उसके मोटर सायकल पर सटे मोटर सायकल को हटाने बोला जिसे शुभम भगत मेरा मोटर सायकल नहीं है बोला और फिर नहीं हटाउंगा कहकर ग्राहक से विवाद करने लगा जिसे झगड़ा विवाद करने से मना करने पर अश्लील गाली गलौज कर दुकान के कुर्सी टेबल को तोड़फोड़ करने लगा और दुकान अंदर घुसकर हाथापाई कर की धमकी देते हुए चला गया। थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज द्वारा रिपोर्टकर्ता के आवेदन पर सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज कर आरोपी शुभम भगत पिता राजकुमार भगत उम्र 20 साल निवासी ग्राम करवाजोर थाना लैलूंगा को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

फायनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने ग्राहकों के किस्त जमा ना कर किया कंपनी के साथ विश्वासघात

रायगढ़। दिनांक 26.10.2023 को एक फायनेन्सियल सर्विसेस कंपनी के डिवीजनल मैनेजर शाबु दामोदरन द्वारा थाना कोतवाली में आवेदन देकर कंपनी के कर्मचारी धरम पटेल एवं अन्य के विरूद्ध ग्राहकों से किस्तो की राशि प्राप्त कर रूपयों का गबन करने के संबंध में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।

रिपोर्टकर्ता के अनुसार इनकी फायनेंस कंपनी विभिन्न प्रकार के वाहनों को क्रय करने हेतु वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य करती है। कंपनी की विभिन्न शाखाओं में एक्सिक्यूटिव के पद पर पदस्थ हैं। जिनका कार्य कम्पनी से वित्तीय सुविधा प्राप्त कर वाहन क्रय करने वाले ग्राहकों/ऋणग्रहिताओं (customers) से ऋण की राशि को आसान किश्तों में प्राप्त कर रसीद प्रदान कर, उक्त किश्त की राशि को कम्पनी के शाखा कार्यालय में जमा करना और किश्तों का भुगतान करने में असमर्थ ग्राहकों से वाहन कम्पनी विधिवत आधिपत्य में प्राप्त कर कम्पनी के आधिकृत यार्ड में जमा करने का कार्य होता है।

कंपनी के कुछ कर्मचारियों द्वारा कंपनी के कुल 19 ऋणग्रहिताओं के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को नगद/फोन-पे/बैंक खाते में ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान की गई किस्त की राशि लगभग रु.1,42,300 का रसीद ऋणग्रहिताओं को प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही कम्पनी में जमा किया गया जिसे कर्मचारियों के द्वारा स्वयं के निजी उपयोग में लिया गया।

कंपनी के 23 ऋणग्रहिताओं के द्वारा कंपनी में शिकायत किया गया कि कंपनी के कर्मचारी धरम पटेल एवं अन्य को सुपुर्द किये गये वाहनों को धरम पटेल एवं अन्य के द्वारा कम्पनी के अधिकृत यार्ड में जमा नहीं कराया गया अन्यत्र हस्तांतरित या गिरवी या विक्रय कर दिया गया है। आवेदन पर आरोपित धरम पटेल व अन्य के विरूद्ध धारा 408,34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

आनन्द उर्फ मोनू केशरी एक साल के लिए हुए जिला बदर : कलेक्टर गोयल ने जारी किया आदेश

- **चौबीस घंटे के भीतर रायगढ़ के साथ सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले की सीमाओं से जाना होगा बाहर**

रायगढ़। कलेक्टर व जिला दण्डाधिकरी कार्तिकेया गोयल ने 27 अक्टूबर 2023 को आदेश जारी कर आनन्द उर्फ मोनू केशरी, आ.ओमप्रकाश केशरी, निवासी-गंज पीछे खरसिया, थाना-खरसिया, जिला-रायगढ़ को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में चल रहे न्यायिक प्रकरण में यह आदेश पारित किया है। आदेश में उल्लेख है कि जब तक यह आदेश लागू रहेगा आनन्द उर्फ मोनू केशरी को चौबीस घंटे के भीतर जिला-रायगढ़ तथा समीपवर्ती जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले के क्षेत्र से एक वर्ष के लिए बाहर जाना होगा। आनन्द उर्फ मोनू केशरी को उक्त अवधि में बिना वैधानिक अनुमति लिए इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इस आदेश का तुरंत पालन किया जाना होगा। पालन नहीं करने पर आनन्द उर्फ मोनू केशरी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अभियोजन साथियों द्वारा दिए गए बयान के आधार पर यह पाया गया कि आनन्द उर्फ मोनू केशरी पर 12 मार्च 2014 से 27 अक्टूबर 2016 तक थाना खरसिया, जिला-रायगढ़ में अपराध पंजीबद्ध हुए है। आनन्द उर्फ मोनू केशरी, दु:साहसिक एवं अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। आनन्द उर्फ मोनू केशरी के आपराधिक गतिविधियों से जनसामान्य के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और उनके ऐसे कृत्यों से कानून व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आनन्द उर्फ मोनू केशरी के ऐसे कृत्य से कभी भी सामाजिक शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। उनके द्वारा ऐसे कई अपराध अपने साथियों के साथ मिलकर किया गया। खरसिया पुलिस द्वारा आनन्द उर्फ मोनू केशरी के विरूद्ध सामान्य कानून के तहत कई कार्यवाही की गई किन्तु उसके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसलिए खरसिया पुलिस द्वारा आनन्द उर्फ मोनू केशरी के विरूद्ध प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई जिसमें उसके विरूद्ध ईश्तगासा क्रमांक 19/14 धारा 110 जा.फौ. एवं अन्य धाराओं के तहत अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खरसिया के न्यायालय में पेश किया गया, इसके उपरांत भी उसकी आपराधिक गतिविधियों और उसके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ। जबकि आनन्द उर्फ मोनू केशरी के विरूद्ध पूर्व में 15 मई 2014 को जिला बदर की कार्यवाही की गई थी, उक्त जिला बदर की कार्यवाही में अवधि पूर्ण होने के पश्चात आनन्द उर्फ मोनू केशरी पुन: आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो गया। इसलिए पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा आनन्द उर्फ मोनू केशरी के विरूद्ध प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए छ.ग.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत यह प्रकरण पुन: प्रस्तुत किया गया है।

जिसके पश्चात जिला दण्डाधिकारी व कलेक्टर गोयल ने आदेश पारित किया कि अनावेदक लगातार अपराधिक कृत्य में संलग्न होकर अपराधिकृत प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिससे कानून व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अत: राज्य सुरक्षा अधिनियम के उक्त प्रावधान के तहत उसे जिले से निष्कासित किए जाने का पर्याप्त कारण है। अत: राज्य की सुरक्षा व कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए आनन्द उर्फ मोनू केशरी को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत रायगढ़ जिले तथा समीपवर्ती जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया जाता है। आनन्द उर्फ मोनू केशरी को आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर उक्त जिलों के क्षेत्र व सीमा से बाहर जाना होगा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480